an>

Title: Need to amend Gratuity rules.

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में उठाने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने दिनांक 29.03.2018 को एक अधिसूचना के माध्यम से पेयमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से ग्रेच्युटी भुगतान के लिए करमुक्त सीमा बीस लाख रुपए तक बढ़ाई गई है।

इस अधिनियम से संबंधित ग्रेच्युटी नियमावली में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण टाटा सहित निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियों के कर्मचारी इसके लाभ से वंचित हैं। इस संबंध में मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत स्थित टाटा कंपनी के टाटा वर्सेस यूनियन के साथ-साथ कई मजदूर संगठनों ने मिलकर ग्रेच्युटी रूल में संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों के हित में ग्रेच्युटी नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन किया जाए, ताकि इसका लाभ संबंधित क्षेत्रों के कामगारों को मिल सके। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri Bidyut Baran Mahato.